प्रेषक

अरूण सिंघल
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त
उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद
बी0'1/118, विश्वास खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 15 मई, 2015**

विषय- प्रदेश में लोहिया ग्रामीण आवास योजना हेतु हुडको से ऋण लिये जाने के लिये शासकीय गारण्टी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर ग्राम्य विकास अनुभाग-4 के पत्र संख्या-432(।।)/अड़तीस-4-15-05(बजट) /2012टी0सी0-।।, दिनांक-31.03.2015 व पत्र संख्या-513/अड़तीस-4-15-05(बजट)/2012 टी0सी0-।।, दिनांक-29.04.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित वर्ग को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना सरकार के विकास एजेण्डा में सम्मिलित किया गया है और लोहिया समग्र ग्रामों को संतृप्त किये जाने की प्राथमिकता है। उक्त के दृष्टिगत वित्तीय संसाधनों के आभाव में हुडको से रू0 1500 करोड़ 8.5 प्रतिशत ब्याज दर पर, जो घट/बढ़ सकती है, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, जो ग्राम्य विकास विभाग के अधीन है, के माध्यम से ऋण अनुबन्ध ग्राम्य विकास अनुभाग-4 के पत्र संख्या-383/38-4-2015-05(बजट)/2012टी0सी0-।।, दिनांक-16.03.2015 द्वारा आपको प्रेषित किया गया है, जिसमें शासन के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक-31.03.2015 व 29.04.2015 में दिये गये निर्देशानुसार संशोधन अपेक्षित है।

2- इस सम्बन्ध में लोहिया ग्रामीण आवास योजना की फण्डिंग हेतु हुडको से रू0 1500 करोड़ का ऋण 8.5 प्रतिशत ब्याज दर परिवर्तनीय पर उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद के माध्यम से प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में शासकीय प्रत्याभूति पर वित्त विभाग की अनॉपत्ति इस शर्त पर प्राप्त हुयी है कि ऋण हेतु हुडको के साथ निष्पादित किये जाने वाले ऋण अनुबन्ध को ग्राम्य विकास अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-432(।।)/अड़तीस-4-15-05(बजट)/2012टी0सी0-।।, दिनांक-31.03.2015 में इंगित संशोधनों के अनुसार प्रशासकीय विभाग द्वारा संशोधित करा लिया जायेगा। ऋण की ब्याज सहित अदायगी का दायित्व ऋण की केवल उस धनराशि तक सीमित रहेगा, जो हुडको द्वारा उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद को लोहिया ग्रामीण आवास योजना के वित्त

http://shasanadesh.up.nic.in

पोषण हेतु वास्तवितक रूप से उपलब्ध कराया जाय। ब्याज की गणना उसी तिथि से की जायेगी, जिस तिथि को ऋण परिषद को वास्तव में प्राप्त होगा। जिसके क्रम में हुडको द्वारा की गयी अपेक्षानुसार उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद के प्रस्ताव पर शासकीय गारण्टी (शासकीय प्रत्याभूति) स्वीकृत करते हुये, उसके साथ ऋण अनुबन्ध की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। आयुक्त, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद का यह दायित्व होगा कि उनके द्वारा ऋण अनुबन्ध में वांछित संशोधन करा लिया जायेगा तथा उक्त शासकीय गारण्टी से सम्बन्धित औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये शासन को तदनुसार सूचित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के अशासकीय संख्या-59/दस-4-2015, दिनांक-14 मई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

अरूण सिंघल
प्रमुख सचिव।

संख्या-22/2015/ 418 (1) /अड़तीस-9-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
5- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
6- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन
8- क्षेत्रीय प्रमुख, हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बी0-1, एन0ई0 ब्लाक, द्वितीय तल, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-हुडको/शेड्यूल-20745/2015/52, दिनांक-15.04.2015 के संदर्भ में।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन।
10- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- ग्राम्य विकास अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in